



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंचायती/विधि/विशेष ग्राम सभा/2024/EFile-22379 जयपुर, दिनांक:-

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषय:- दिनांक 15 अगस्त 2025 को ग्राम सभा का आयोजन बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 अगस्त, 2025 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में निम्न एजेण्डा बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. ग्राम सभा में पेंशनभोगियों की सम्पूर्ण सूची का सत्यापन किया जाना।
2. पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण-पत्र नियमित रूप से जारी किया जाना है, जिससे प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त पेंशन की स्थिति स्वतः ही अद्यतन हो जाती है।

अतः इसके साथ ही पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित एजेण्डा बिन्दुओं (संलग्न) की पालना किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 अगस्त, 2025 को ग्राम सभा का आयोजन कर, उक्त वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(इन्द्रजीत सिंह)

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मुख्यालय।

Document certified by Indrajeet Singh
<indrajeetsinghras@gmail.com>.

Digitally Signed by Indrajeet Singh

Designation : Deputy

Commissioner

Date :13-08-2025 12:00:32

RajKaj Ref No.:
17107730

eSign DSC

Agenda

The agenda of the meeting is to discuss the inclusion of following issues in the Gram Sabhas, to be held in Panchayati Raj Institutions on 15th August 2025:

Sl No.	Issue for inclusion in Gram Sabhas on 15 th August 2025
1.	Promotion of Renewable Energy Schemes – Outreach, mobilization, and enrolment for various schemes of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) such as PM Surya Ghar, PM-KUSUM, etc., in coordination with State Renewable Energy Development Agencies/State Nodal Agencies.
2.	Management of Stray Cattle – Community-driven measures for addressing stray cattle-related challenges, including identification of grazing/shelter sites, coordination with Animal Husbandry Departments for vaccination and tagging, and inclusion of relevant activities in GPDPs.
3.	Dissemination of Panchayat Advancement Index (PAI) 1.0 Results – Sharing Gram Panchayat-level performance results with the community to promote transparency, accountability, and participatory planning for improvement.